न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 46/2024

बउनवान

रामपाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा निवासी बमूलिया जागीर, तहसील बारां जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कोयला, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :— 1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक— 28.02.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला के आदेश दिनांक 26.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.24 है., भूमि पर अतिक्रमी मानकर वार्षिक लगान का 50 गुना 120 रूपये शास्ति आरोपित कर 15 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं का अवसर नही दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही है। अपीलांट की ओर कोई सरकारी ताबान बकाया नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.2.2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण [illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभि[illegible] किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार सरकार को [illegible] सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:35:27 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही नहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को

सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.2.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2080 खरीफ में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 333/2023 मे पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 की पालना में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 838 रकबा 0.24 है0 किस्म चारागाह ग्राम बमूलिया जागीर पर सम्वत् 2080 फसल खरीफ में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 333/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 की पालना में बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न पूर्व पत्रावली के पी–14, निर्णय एवं सूची आंक कायमी की छायाप्रति से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा प्रकरण संख्या 271/24 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:35:27 IST
Reason: SelfAttested